रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122021-231784 CG-DL-E-10122021-231784

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 691] No. 691] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 2021/अग्रहायण 19, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 2021/AGRAHAYANA 19, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2021

सा.का.िन. 850(अ).—चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार औषि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से औषि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (23 के 1940) की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से पैंतालीस दिनों की अविध समाप्त होने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को इन प्रारूप नियमों वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो अवर सचिव, (औषधि), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं. 434, सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 को अग्रेषित किया जाए अथवा drugsdiv-mohfw@gov.in पर ई-मेल की जाए।

7200 GI/2021 (1)

प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों को चिकित्सा युक्ति (....संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।
- 2. चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 में, नियम 36 के उपनियम (3) में, "या संयुक्त राज्य अमेरिका" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखा जाएगा. अर्थात:—

"यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका" ।

[फा. सं. एक्स.11014/7/2021-डीआर] डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: चिकित्सा युक्ति नियम, 2017, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 78(अ), तारीख 31 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. (अ), तारीख द्वारा अंतिमतः संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2021

G.S.R. 850(E).—The following draft of certain rules further to amend the Medical Devices Rules, 2017, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is hereby published after consultation with the Drugs Technical Advisory Board for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Room No. 434, C Wing, Nirman Bhavan, New Delhi - 110011 or emailed at drugsdiv-mohfw@gov.in.

DRAFT RULES

- 1. (i) These rules may be called the Medical Devices (.....Amendment) Rules, 2021.
 - (ii) These rules shall, unless specified otherwise, come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Medical Devices Rules, 2017, in rule 36, in sub-rule (3), for the words "or the United States of America" the following words shall be substituted, namely:—

"United Kingdom or the United States of America".

[F. No. X.11014/7/2021-DR]

DR. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Official Gazette *vide* notification number G.S.R. 78(E), dated 31st January, 2017 and last amended *vide* notification number G.S.R. (E), dated...........